

प्रेषक,

आर०के०मिश्र,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,  
जौनपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक 01 अगस्त 2008

विषय- महाविद्यालय सञ्चालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

माहोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक--पू०वि०वि०/सम्ब०/11-49 (एक)/2008/1140 दिनांक 11.06.2008 के सदन में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय सञ्चालन अधिनियम, 2007) की धारा 37(2) के अधीन श्री राज्यपाल सत, ग्राम्यान्धल महाविद्यालय, सुरही, बलिया को स्नातक स्तर पर कला मकाय के अंतर्गत हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान एवं प्राचीन इतिहास विषयों में स्वयत्तापोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अधिनियम में दर्जित कृत, प्रमाणित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत शस्त्रा को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(आर०के०मिश्र)

अनु सचिव।

संख्या-2264(1)/सत्तर-6-2008, तददिनांक।


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
3. प्रबन्धक, सत ग्राम्यान्धल महाविद्यालय, सुरही, बलिया।
4. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी।
5. गार्ड फाइल।

आशी म,

(आर०के०मिश्र)

अनु सचिव।

  
आशी म  
वीर बहादुर सिंह महाविद्यालय  
जौनपुर, बिहार